

By FAX/Speed post

F. No. A-26017/143/2015-Ad.IIA
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs

New Delhi, the 28th May, 2020.

To,
All Cadre Controlling Authorities under CBIC.


Subject: Administrative Officer, Group "B" post Recruitment Rules, 2020 published in the Gazette of India vide GSR No. 305(E) dated 21th May, 2020 -Reg.

Sir,

I am directed to forward the Administrative Officer Group B Recruitment Rules, 2020 published vide GSR No. 305(E) dated 21th May, 2020 in the Gazette of India for information and further necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,



(Gaurav Shukla)

Under Secretary to the Government of India
Tele: 011-23095528

Copy to:

(i) DG(HRM), Directorate General of Human Resource
Development, CBIC for information.

(ii) DG Systems, CBIC for uploading on CBIC website.


(Gaurav Shukla)

Under Secretary to the Government of India



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052020-219467
CG-DL-E-21052020-219467

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]
No. 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2020/वैशाख 31, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2020/VAISAKHA 31, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2020

सा.का.नि. 305(अ).—राष्ट्रपति संविधान की अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क) प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा-अधिकारी, भर्ती नियम 1986, निवारक संचालन निदेशालय (प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम 1986, राजस्व आसूचना महानिदेशालय और डायरेक्टरेट आफ एन्टी इवोजन, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क भर्ती नियम 1990, सांख्यिकी एवं आसूचना निदेशालय, सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, प्रशासनिक अधिकारी/सहायक मुख्य लेखा अधिकारी, भर्ती नियम, 1988, प्रशासनिक अधिकारी (केंद्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला) भर्ती नियम, 1969 और वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2013 को उन बातों के सिवाए अधिकृत करते हुए जिन्होंने ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के नियंत्रण में निदेशालय व क्षेत्रीय संरचना में प्रशासनिक अधिकारी के पद की पद्धति को विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) ये नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, प्रशासनिक अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2020 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **विशेष उपबंध :-** (1) प्रत्येक क्षेत्रीय संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी का अपना एक अलग संवर्ग होगा, या अन्यथा उसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा निर्देशित किया/न किया जा रहा हो।

(2) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के निम्न निदेशालयों में समूह 'ख' पद के प्रशासनिक अधिकारी के लिए नियंत्रक प्राधिकारी संवर्ग निष्पादन प्रबंधन महानिदेशालय, सीमाशुल्क व केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली होगा।

- (i) महानिदेशक, निष्पादन प्रबंधन
- (ii) महानिदेशक, राजस्व आसूचना
- (iii) महानिदेशक, वस्तु और सेवा कर आसूचना
- (iv) महानिदेशक, संभार-तंत्र
- (v) महानिदेशक, करदाता सेवा
- (vi) महानिदेशक, प्रणाली और आंकड़ा प्रबंधन
- (vii) केंद्रीय राजस्व नियंत्रक प्रयोगशाला
- (viii) महानिदेशक, सतर्कता
- (ix) महानिदेशक, एन्टी प्रोफीटियरिंग
- (x) महानिदेशक, निर्यात संवर्धन
- (xi) महानिदेशक, लेखा परीक्षा
- (xii) महानिदेशक, विधिक कार्य
- (xiii) महानिदेशक, साधरण मानव संसाधन विकास
- (xiv) मुख्य आयुक्त (प्राधिकृत प्रतिनिधि), सीमाशुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
- (xv) विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन
- (xvi) महानिदेशक मूल्यांकन
- (xvii) महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सीमाशुल्क
- (xviii) महानिदेशक, वस्तु एवं सेवा कर

(3) उप-कार्यालय अधीक्षक पद को वरिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ रखा जाएगा और उप-कार्यालय और वरिष्ठ कर सहायक के ग्रेड में प्रदान की गई सेवाओं की अगले ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अर्हता के रूप में गणना की जाएगी।

(4) समूह 'ख' और समूह 'ग' ग्रेड में विलय किए गए निदेशालय के पदों की परस्पर वरिष्ठता को इस संदर्भ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के अनुसार एकीकृत किया जाएगा।

3. वेतन मैट्रिक्स पदों की संख्या, वर्गीकरण व स्तर-पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से ऊपर अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं आदि-** भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और इससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति

(क) जिसने, ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जिसकी पत्नी जिसने विवाह की है या विवाह की संविदा का है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह की या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना समीचीन आवश्यक है वहां उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखनबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा विधित किया जा सकेगा।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध, में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद हैं अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती की जाने वाली व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशासनिक अधिकारी	कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित अनुसचिवाय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपए)	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती व्यक्तियों की दशा में लागू होगा।	परिवीक्षा की अवधि, यदि		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नती व्यक्तियों की दशा में लागू होगा।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	<p>प्रोन्नति: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत स्तर-6 में वेतन मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो ओर कार्यकारी सहायक तथा जिसने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट संस्थान अथवा संगठन से 2-4 सप्ताह प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा कर लिया है।</p> <p>टिप्पण 1: उप कार्यालय अधीक्षक तथा वरिष्ठ कर सहायक (कार्यकारी सहायक के रूप में नामनिर्दिष्ट) के विलय पूर्व ग्रेड में प्रदान की गई सेवा को प्रोन्नती के लिए पात्रता की गणना करने में ध्यान में रखा जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची केंद्रीय अप्रत्यक्ष</p>

			<p>कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अंतर्गत वरिष्ठ कर सहायक (कार्यकारी सहायक के रूप में नामनिर्दिष्ट) द्वारा उसी संवर्ग में रहते हुए पारस्परिक वरिष्ठता के साथ ग्रेड में विनिर्दिष्ट सेवा की अहर्ता प्राप्त सेवा के पूरा करने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी।</p> <p>टिप्पण 3: जहां ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हैं, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु तब यह जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा में आधे से अधिक या दो वर्ष से 4 वर्ष में जो भी कम हो, न हो और अपनी ऐसी वरिष्ठ व्यक्ति तथा सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी करली हो अपनी उच्च दर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए बाध्य है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:</p> <p>केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र के वे अधिकारी</p> <p>(क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो, अथवा</p> <p>(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन-मैट्रिक्स (35400-112400 रुपए) में स्तर- 6 में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित, सेवा कि हो या समतुल्य</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता अथवा अनुमत रखता हो:</p> <p>(i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री</p> <p>(ii) सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव</p> <p>टिप्पण 1: सरकार के उसी अथवा किसी दूसरे संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पूर्व धारित दूसरे एक्स-कैंडर पद में अवधि नहीं होगी अथवा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पांच वर्ष में अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा।</p> <p>टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वालों को भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।</p> <p>टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम</p>
--	--	--	---

		आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
<p>(क) समूह 'ख' प्रोन्नति समिति (क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल है:</p> <ol style="list-style-type: none"> संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त, केंद्रीय माल एवं सेवाकर तथा सीमाशुल्क —अध्यक्ष संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण के अपर आयुक्त अथवा संयुक्त आयुक्त — सदस्य केंद्रीय माल तथा सेवाकर एवं सीमाशुल्क उपायुक्त — सदस्य 	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
<p>(ख) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (निदेशालयों हेतु प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) में शामिल हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> कार्य निष्पादन प्रबंधन के प्रधान महानिदेशक अथवा महानिदेशक — अध्यक्ष मानव संसाधन विकास के महानिदेशालय के प्रधान अपर आयुक्त अथवा अपर महानिदेशक — सदस्य कार्य निष्पादन के महानिदेशक के अपर अथवा संयुक्त निदेशक — सदस्य 	

[फा. सं. ए-26017/143/2015-एडी. IIए]

गौरव शुक्ला, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2020

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Inspections and Audit(Customs and Central Excise) Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer, Recruitment Rules, 1986, the Directorate of Preventive Operations (Administrative Officer) Recruitment Rules, 1986, the Directorate General of Revenue Intelligence and Directorate of Anti-Evasion, Customs and Central Excise Recruitment Rules, 1990, the Directorate of Statistics and Intelligence, Customs and Central Excise, Administrative Officer/Assistant Chief Accounts Officer, Recruitment Rules, 1988, the Administrative Officer (Central Revenues Control Laboratory) Recruitment Rules, 1969 and the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Excise and Customs, Administrative Officer(Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such suppressions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer in the field formations and Directorates under the control of Central Board of Indirect Taxes and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Administrative Officer, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Special provision.—(1) Each Zonal Cadre Controlling Authority shall have its own separate cadre unless otherwise directed by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.

(2) Directorate General of Performance Management, Customs and Central Excise, Delhi shall be the Cadre Controlling Authority for Group 'B' post of Administrative Officer for the following Directorates under the Central Board of Indirect Taxes and Customs:—

- (i) Directorate General of Performance Management;
- (ii) Directorate General of Revenue Intelligence;
- (iii) Directorate General of Goods and Service Tax Intelligence;
- (iv) Directorate of Logistics;
- (v) Directorate General of Tax Payer Services;
- (vi) Directorate General of Systems and Data Management;
- (vii) Central Revenue Control Laboratory;
- (viii) Directorate General of Vigilance;
- (ix) Directorate General of Anti-Profiteering;
- (x) Directorate General of Export Promotion;
- (xi) Directorate General of Audit;
- (xii) Directorate of Legal Affairs;
- (xiii) Directorate General Human Resource Development;
- (xiv) Chief Commissioner(Authorised Representative), Customs , Central Excise and Service Tax Appellate Tribunal(CESTAT);
- (xv) Directorate General of Analytics and Risk Management;
- (xvi) Directorate General of Valuation;
- (xvii) Directorate of International Customs; and
- (xviii) Directorate General of Goods and Service Tax.

(3) The post of Deputy Office Superintendent shall be placed en-bloc senior to the post of Senior Tax Assistant and the service rendered in the grade of Deputy Office Superintendent and Senior Tax Assistant shall be counted towards the eligibility for promotion to the next higher grade.

(4) Inter-se-seniority of all merged Directorate's posts in the grade of Group 'B' and Group 'C' shall be integrated as per the instructions or guidelines issued by the Government of India from time to time in this regard.

3. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker section, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrative Officer.	1600* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "B", Gazetted, Ministerial.	7 Level-7 in the Pay Matrix (Rs.44900-142400).	Selection.	Not applicable.	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.	<p>Promotion:</p> <p>Executive Assistant under the Central Board of Indirect Taxes and Customs in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) with five years regular service in the grade and have successfully completed training for 2-4 weeks from the institute or organisation as specified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs.</p> <p>Note 1: The service rendered in the pre-merger grades of Deputy Office Superintendent and Senior Tax Assistant (designated as Executive Assistant) shall be taken into account in computing the eligibility for promotion.</p> <p>Note 2: The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion of qualifying service by the Deputy Office Superintendent and Senior Tax Assistant (designated as Executive Assistant) under the Central Board of Indirect Taxes and Customs, of prescribed service in the grade with inter-se seniority within the cadre remaining the same.</p> <p>Note 3: Where juniors who have completed their qualifying or</p>

		<p>eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers of the Central Government or State Government or Union territories:</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400 - 112400) or equivalent in the parent cadre or Department.</p> <p>(b) possessing the following educational qualification and experience:</p> <p>(i) Bachelors degree from a recognised University or Institute.</p> <p>(ii) Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body.</p> <p>Note 1: The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years or extended as per the guidelines issued by the Government of India from time to time.</p> <p>Note 2 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion</p> <p>Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p>
--	--	---

If Departmental Promotion Committee exist, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making
---	---

(12)	recruitment.
(13)	
(A) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion for field formations) consisting of :	
1. Principal Commissioner or Commissioner of Central Goods and Service Tax and Customs of the Cadre Controlling Authority	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
— Chairman	
2. Additional Commissioner or Joint Commissioner of the Cadre Controlling Authority	
— Member	
3. Deputy Commissioner of Central Goods and Service Tax and Customs	
— Member	
(B) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion for Directorates) consisting of :-	
1. Principal Director General or Director General of Performance Management	
— Chairman	
2. Principal Additional Director General or Additional Director General of Directorate General of Human Resource Development	
— Member	
3. Additional or Joint Director of Directorate General of Performance Management	
— Member	

[F. No. A-26017/143/2015-Ad.IIA]

GAURAV SHUKLA, Under Secy.